फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अलकेश सनाढ्य निवासी किरो की ढाल, सदर बाजार कांकरोली, जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंवारिया – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 25/2024**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.05.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंवारिया से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंवारिया से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंवारिया से जरिये पृष्ठाकिंत अपीलार्थी क्रमांक :–भू0अ0/सू0अ0/2024/517 दिनांक 03.05.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.02.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर (1) तहसील कुंवारिया में जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक हुए संपरिवर्तन, (2) संपरिवर्तन के दुरी का गजट नोटिफिकेशन एवं (3) संपरिवर्तन में पटवारी व तहसीलदार की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट बाबत् सूचना चाही गयी थी। उक्त आवेदन के क्रम में प्रार्थी को जरिये डाक इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./RTI/2024/281–82 दिनांक 21.02.2024 से प्रतिउत्तर प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा वांछित उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के तहत दिया जाना वर्जनीय है साथ ही वांछित सूचना अत्यधिक विस्तृत सूचना भी है जिसे खोजकर दिया जाना संभव नहीं है प्रार्थी को उसके हितबद्ध सूचना से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होने से जरिये डाक प्रतिउत्तर भेजकर इस बाबत् प्रार्थी को अवगत कराते हुए यंह भी सुझाया गया था कि यदि प्रार्थी अपने हितबद्ध	

न्यायालय जिला कलक्टर

तथा जिसमें लोकहित निहित हो, को ध्यान में रखते हुए जिस संपरिवर्तन की सूचना की वास्तविक रूप से आवश्यकता हो, का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए आवेदन करे तो सूचना तैयार कर उपलब्ध कराई जा सकती है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंवारिया की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंवारिया की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना विस्तृत होने से खोजकर दिया जाना संभव नहीं है अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना की विशिष्टियॉ अंकित कर कार्यालय समय में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त करे। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंवारिया को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)